न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/08/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/12

अपीलार्थी
श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री सुगनी राम मीना,
नि0 बावडी के पास, लक्ष्मणगढ (अलवर) राज.–321607

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 14.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.03.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्तं हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 07.01.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र हरिप्रसाद, हरिप्रसाद लखेरा पुत्र धन्नालाल, नीरज कोठारी पुत्र वीरेन्द्र कोठारी के राशनकार्ड के खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन–पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति व इसी प्रकार अन्यादि कुल 5 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय स्तर पर प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. आरटीआई/2022/745 दिनांकः 07.03.2022 के माध्यम से अपील का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 07.01.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. RTI/2022/704 दिनांकः 18.02.2022 के माध्यम से एवं इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त पुनः पत्र सं. RTI/2022/742 दिनांकः 04.03.2022 के माध्यम से आवेदन विशिष्टीविहीन होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)बी के तहत **विधिक विनिश्चय कर आवेदन अस्वीकार** कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है तथापि प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो भविष्य में इस अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समयावधि में ही विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 10.03.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
(डॉ. सुनीता पंकज)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज.)